फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

श्री चाँद मोहम्मद मंसूरी ग्राम जीतावास तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

– अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, रेलमगरा

– रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार

पत्रावली संख्या 02/2018

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 14.03.2018

पत्रावली पेश हुयी। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा से वांछित सूचना प्राप्त नही होने से यह अपील जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गयी। अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लो0सू0अ0 तहसीलदार रेलमगरा को अपील प्रति भेजकर अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लो0सू0अ0 तहसीलदार रेलमगरा द्वारा जरिये पत्र कमांक रीडर/सूचना का अधिकार/2018/91 दिनांक 16.02.2018 से प्रेषित रिपोर्ट में अंकितानुसार प्रार्थी द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दायर की गयी अपील मे प्रकट किए गए समस्त तथ्य सारहीन होकर, गलत व मनगढ़ंत है। जिन्हे कतेई स्वीकार नहीं किया जा सकता है सभी तथ्य अस्वीकार है। इस अपील के मामले में निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 21.12.2017 का डाक से कार्यालय हाजा को दिनांक 16.01.2018 को प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित आवेदन पत्र मे वर्णित सूचनाए पटवारी/कार्यालय मे उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार तैयार कराई जाकर कार्यालय द्वारा आवेदनकर्ता को दूरभाष के माध्यम से भी सूचना प्राप्त करने हेतु अवगत कराया गया परन्तु आवेदनकर्ता के कार्यालय मे उपस्थित नहीं की स्थिति मे कार्यालय हाजा के पत्रांक भू0अ0/1327 दिनांक 15.02.2018 को जरिये डाक से आवेदनकर्ता के निवास स्थान पर भिजवायी गयी। अपीलार्थी को कार्यालय मे उपलब्ध रिकार्ड की सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। अपीलार्थी को दिनांक 16.01.2018 को प्राप्त आवेदन पत्र से संबंधित किसी प्रकार की सूचना दिया जाना बकाया नहीं है। अपीलार्थी को दिनांक 16.01.2018 की सूचना प्राप्त हो जाने के बावजूद भी आपके न्यायालय को जानबुझकर गुमराह किया जाकर न्यायालय का किमती सयम नष्ट करने की अभिमंशा आवेदनकर्ता की जाहिर हो रही है। इस मामले में कार्यालय हाजा के पत्रांक भू0अ0/1327 दिनांक 15.02.2018 की प्रति संलग्न करा भिजवायी जाकर सानुरोध प्रार्थना है कि कृपया अपील सारहीन होकर गलत तथ्यों पर आधारित होकर सूचना प्राप्त होने से सुनवायी योग्य नहीं है। अपील खारिज फरमाई जाने की कृपा करावें।

न्यायालय जिला

लो0सू0अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी को कार्यालय मे उपलब्ध रिकार्ड की सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। अपीलार्थी को दिनांक 16.01.2018 को प्राप्त आवेदन पत्र से संबंधित किसी प्रकार की सूचना दिया जाना बकाया नहीं है। अपील सारहीन होकर गलत तथ्यों पर आधारित होकर सूचना प्राप्त होने से सुनवायी योग्य नहीं होने से अपीलार्थी के विरूद्ध अपील इसी स्टेज पर निरस्त की जाती है। निर्णय प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, रेलमगरा को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
जिला कलक्टर राजसमन्द